हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 170 लखनऊ, शनिवार 14 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

अब उपद्रव नहीं उत्तर प्रदेश है उत्सव का प्रदेश: मुख्यमंत्री

2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पले गुंडे और माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे : योगी आदित्यनाथ

सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फियर जोन से फेथ जोन में बदला : सीएम

अब उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण नहीं, अब लोगों के मन में आस्था है : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गुंडे व माफिया सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं ऐसे कुछ नाम लिए हैं, जबकि कई नाम लेने में वह

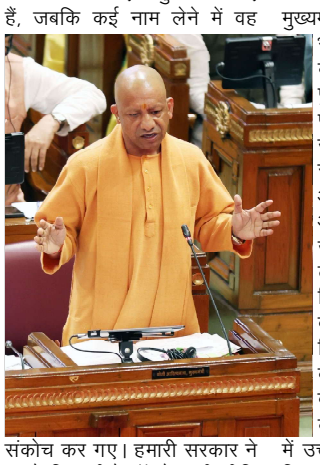

संकोच कर गए। हमारी सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पले गुंडे और माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे।

गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे थे। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी और आज उपद्रव नहीं, उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश।

यूपी अब फियर जोन से फेथ जोन बना

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां, महिला सशक्तिकरण की एक नई पारी, मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज उत्तर प्रदेश की पहचान हैं। साइबर क्राइम हो, त्वरित और आपातकालीन सेवाएं हों, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, आज रूल ऑफ लॉ यूपी के अंदर देखने को मिलता है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फियर जोन से फेथ जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता है, बिना भय के जाता है। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने ली है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे? प्रयागराज में 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस बार माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। ये है परिवर्तन। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में बना रिकॉर्ड लोगों के विश्वास का प्रतीक है। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है।

आज उत्तर प्रदेश में मॉडर्न पुलिसिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन आठ वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस की भर्ती हुई हैं। इसमें 20 फीसदी महिलाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। पुलिस भर्ती में हर जनपद के नौजवानों को अवसर मिला है, बिना भेदभाव। पुलिस अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विकास किया गया। पहले पुलिस के नौजवान खपरैल के बैरक में रहते थे। आज जिलों में आप जाएंगे तो हाई राइज बिल्डिंग पुलिस की अवस्थापना सुविधा के लिए होगी। मॉडर्न पुलिसिंग की बात आती है तो सात पुलिस कमिश्नरेट स्थापित किए गए, जिनके लिए आपकी सरकार कभी निर्णय ही नहीं ले पाई। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। आज तीन नए कानून लागू हो चुके हैं और लखनऊ में स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं।

हर जनपद में साइबर क्राइम थाना स्थापित

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले साइबर क्राइम के केवल दो थाने थे, आज सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने हैं। इसके अलावा राज्य के हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है। अब तक हजारों करोड़ रुपये, जो साइबर अपराधियों द्वारा ऐंठे जाते थे, उनको वापस कराने और बचाने में भी इस तंत्र ने योगदान दिया है। तीन नए कानून लागू होने के बाद हर उस अपराध में, जिसमें

सात वर्ष से अधिक की सजा है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। पहले यूपी के अंदर दो या तीन लैब्स काम करती थीं, आज हम लोगों ने 12 ए–ग्रेड की लैब बनाई हैं और छह निर्माणाधीन हैं। हर जनपद में दो–दो फॉरेंसिक वैन उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि एविडेंस प्राप्त हो, अपराधी

को सजा दी जा सके। ये एक नई दिशा में किए गए प्रयास हैं।

दंगाइयों का काल है पीएसी, हमारी सरकार ने किया पुनर्जीवित

मुख्यमंत्री ने सेफ सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि मुंबई हो या गुजरात या फिर यूपी, सभी जगह भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के लक्ष्य को 17 नगर निगम समेत गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोगों ने लागू किया है। हर जिला मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरे की कवरेज, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके साथ ही पीएसी की 34 कंपनियों को पुनर्गठित करके उसको जीवित किया है, क्योंकि ये दंगाइयों की काल है। दंगा समर्थक कोई भी पार्टी पीएसी का समर्थन नहीं करती। समाजवादी पार्टी के कालखंड में इसे एक प्रकार से समाप्त करने की साजिश की गई थी। अब उसका पुनर्गठन करने के साथ ही तीन कंपनी महिला पीएसी का गठन किया जा चुका है और साथ ही तीन और कंपनियां हम बनाने जा रहे हैं। जिन तीन महिला पीएसी कंपनियों का गठन किया गया है, वो वीरांगना उदा देवी के नाम पर लखनऊ में, वीरांगना झलकारी देवी के नाम पर गोरखपुर में और वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर बदायूं में गठित हो चुकी हैं। तीन नई वाहिनियों का गठन हम लोग करने जा रहे हैं।

बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, अंधाधुंध फायरिंग से दहला इलाका

बीएनई

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दिनदहाड़े हुई अंधाधुंध फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लखनऊ,अयोध्या हाईवे पर नगर कोतवाली क्षेत्र के असेनी मोड़ के पास अज्ञात हमलावरों ने एक अधिवक्ता को सरेराह गोलियों से भून डाला। मृतक की पहचान बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता और शार्प शूटर के रूप में चर्चित शोएब किडवाई उर्फ बॉबी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लखनऊ की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार को हमलावरों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलियों की बौछार से हाईवे दहल उठा। सूत्रों के अनुसार, करीब 15 राउंड फायरिंग की गई, जिससे मौके पर अफरा–तफरी मच गई। अंधाधुंध गोलियों की चपेट में आकर शोएब किडवाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। नगर कोतवाली पुलिस के

साथ–साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से पांच से अधिक खोखे बरामद किए हैं, जो हमले की गंभीरता को दर्शाते हैं। व्यस्त हाईवे पर दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है या फिर किसी गैंगवार का नतीजा। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल, इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे जिले में दहशत का माहौल है और पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ाने के लिए एफटीए का बेहतर फायदा उठाना जरूरी: नीति आयोग रिपोर्ट

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ाने के लिए संरचनात्मक लागत संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का बेहतर ढंग से फायदा उठाना और रणनीतिक कलपुर्जों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है। आयोग की शुक्रवार को जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का दुनियाभर में 4.6 लाख करोड़ डॉलर का बाजार है, लेकिन 2024 में भारत की हिस्सेदारी लगभग एक प्रतिशत ही रही। कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च–प्रौद्योगिकी कलपुर्जों के बाजार पर चीन, हांगकांग और ताइवान का दबदबा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल में कई देशों एवं समूहों के साथ हुए एफटीए से भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजार तक पहुंच बेहतर हुई है लेकिन अस्थिर भू–राजनीतिक

माहौल में निवेश जुटाने के लिए घरेलू खरीद नीति में अनुमान लगा पाने की क्षमता, निर्यात वित्त और विनियामक सरलीकरण पर अधिक जोर देना होगा। नीति आयोग ने सुझाव दिया कि भारत की रणनीति को असेंबली आधारित वृद्धि से आगे बढ़कर कलपुर्जा–आधारित विनिर्माण की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। आपूर्ति पक्ष पर प्रोत्साहनों को घरेलू मूल्य संवर्धन, निरंतर शोध एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने वाले एंकर निवेश से जोड़ा जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मुख्यतः अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एवं नीदरलैंड को होते हैं और इनमें मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 52.5 प्रतिशत है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में इंटीग्रेटेड सर्किट, मोबाइल फोन और डेटा प्रोसेसिंग मशीनों की बड़ी हिस्सेदारी है। सितंबर तिमाही में देश के कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात में लगभग 8.5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो आयात वृद्धि से अधिक रही। रिपोर्ट के मुताबिक, सीमापार ई–कॉमर्स 2030 तक निर्यात वृद्धि का प्रमुख माध्यम बन सकता है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यसभा: भाषण का अंश हटाए जाने पर खड़गे ने जताई आपत्ति, वित्त मंत्री बोलीं- सभापति का है यह अधिकार

एजेंसी

नयी दिल्ली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि सदन में उनके द्वारा दिए गए भाषण का एक हिस्सा राज्यसभा की वेबसाइट से हटा दिया गया है। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने सभी बातें नियमों के दायरे में रहकर कर कही थीं। जवाब में सभापति ने कहा कि वे इस विषय को देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हटाए गए अंशों को बहाल किया जाए। इस पर सदन में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह निर्णय सभापति का होता है और सभापति ने यदि अपने विवेक से नियमों के आधार पर निर्णय लिया है तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। खड़गे का कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में दिए गए उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित कारण के हटा दिया गया है। उन्होंने जब राज्यसभा की वेबसाइट देखी तो उन्हें यहां अपने भाषण के ये अंश नहीं मिले। खड़गे ने सदन में आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन अंशों को रिकॉर्ड से बाहर किया गया है, उनमें मुख्य रूप से वे हिस्से शामिल हैं जहां उन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज की स्थिति पर तथ्य आधारित टिप्पणियां की थीं और कुछ नीतियों पर प्रधानमंत्री की आलोचना की थी।

अभिभाषण के दौरान हंगामा राज्यपाल ही नहीं, मां का भी अपमान : योगी

बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के आचरण को बताया सनातन के विपरीत

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान शुक्रवार को हुए हंगामे पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के आचरण से न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख, बल्कि मातृ शक्ति का भी अपमान हुआ। उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष के आचरण को सनातन की परंपरा के विपरीत बताया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में

सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि माननीय राज्यपाल यहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थीं। उनका यह कार्यक्रम अचानक नहीं थोपा गया था, दलीय बैठकों में इसकी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से कहा कि आप श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध हैं और सदन में वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं, इसीलिए आपकी बात का बुरा नहीं माना जाता, लेकिन यह आचरण उचित नहीं है। आप अपने वक्तव्य में सनातन की बात कर रहे थे, लेकिन इसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र या अपनी उम्र से बड़ी महिला को मां के समान सम्मान देने का विधान है। इस बारे में महर्षि वेदव्यास ने हमें हजारों साल पहले बताया है। वह सनातन धर्म के सबसे बड़े व्याख्याकार हैं। उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध कर आने वाली पीढ़ी को दिया। उनका कार्यकाल पांच हजार वर्ष पूर्व था, तब भारत में सबसे विकसित सभ्यता थी, तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा था.. 'नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्राणं, नास्ति मातृसमा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय नहीं है।

28 हफ्ते प्रेग्नेंसी पर एमपी हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 13 साल की रेप पीड़िता को दी गर्भपात की मंजूरी

बीएनई

भोपाल। एमपी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की 28 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और पीड़िता की शारीरिक व मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने माना कि इतनी कम उम्र में गर्भावस्था जारी रखना नाबालिग के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि गर्भ जारी रहने से बच्ची पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद अदालत ने मानवीय आधार पर गर्भ समापन की अनुमति प्रदान की। यह निर्णय राज्य में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण नौ मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी गयी। बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था और

एक फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया गया था। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से हुई थी। बजट सत्र का दूसरा चरण नौ मार्च से शुरू होगा, जो दो अप्रैल तक चलेगा। एक बार के स्थगन के बाद शुक्रवार दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। इसके बाद संध्या राय ने सदन की कार्यवाही नौ मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके पहले आज की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। संध्या राय ने पूर्व सदस्य भगवान दास राठौर के निधन की सूचना दी। राठौर का 80 वर्ष की आयु में 21 जनवरी 2026 को उत्तराखंड के हरिद्वार में निधन हुआ। राठौर छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। सदस्यों ने मौन रहकर राठौर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संध्या राय ने प्रश्न काल के लिए कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह का नाम पुकारा तभी विपक्ष के सदस्य आसान के बीचों–बीच आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के सदस्य श्हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा दोश के नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कोडीन सीरप से हुई मौत के एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोडीन सीरप के कारण मौत नहीं हुई है।

सेवा तीर्थ से होगा देश का विकास, पीएम मोदी ने किया नए नाम का अनावरण

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थित हैं। दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत की आधुनिक राजधानी बनाए जाने के 95 वर्ष पूरे हो गए। नयी दिल्ली को 13 फरवरी, 1931 को देश की राजधानी बनाए जाने के समारोह के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, तीन साल बाद देश गणतंत्र बना और वह अब अपनी राह स्वयं तय कर रहा है। इन निर्णायक पड़ावों के दौरान राजधानी के केंद्र में स्थित रायसीना हिल परिसर समय का मूक प्रहरी बनकर खड़ा रहा है। शुक्रवार को यह प्रतिष्ठित स्थल एक और महत्वपूर्ण घटना का साक्षी बनेगा जब इसके निकट स्थित नये पीएमओ भवन और कर्तव्य भवन 1 एवं कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं, जो पहले अलग–अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय स्थित हैं। जब मोदी सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, तो यह अवसर केवल प्रतीकात्मक नहीं क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक 1931 से सत्ता के केंद्र रहे हैं। सरकार की योजना नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में इन प्रतिष्ठित इमारतों को युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित करने की है जो भारत की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाने वाला एक विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा। जब नयी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था तब उसका केंद्र रायसीना हिल परिसर था, जिसमें भव्य वायसरॉय हाउस (अब राष्ट्रपति भवन) और नॉर्थ ब्लॉक एवं साउथ ब्लॉक शामिल थे। नयी राजधानी की आधारशिलाएं एक सदी से अधिक पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने रखी थीं और इसका उद्घाटन 13 फरवरी, 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था।उस वर्ष उद्घाटन समारोह एक सप्ताह तक चला था। इस दौरान तत्कालीन वायसराय ने 12 फरवरी को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल आर्च (जिसे अब इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है) का भी उद्घाटन किया था जिसे प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) और तृतीय आंग्ल–अफगान युद्ध (1919) में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने ब्रिटिश राज की नयी राजधानी का निर्माण किया जिसकी भव्यता एवं वास्तुकला यूरोप और अमेरिका के श्रेष्ठ शहरों के बराबर थी। दो विश्व युद्धों के बीच निर्मित इस शहर को बनने में 20 साल से अधिक का समय लगा।

संपादकीय

उपभोक्ता आन्दोलन की 40 वर्ष की यात्रा, कितनी न्यायकारी

उपभोक्ता आन्दोलन का सूत्रपात 1986 में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून के द्वारा हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं के प्रति बरती गई लापरवाहियों, जैसे खराब वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जांच करके यथोचित आदेश पारित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर न्यायालयों के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त किए गए। वर्ष 2019 में इस कानून में अनेकों बदलाव भी लाए गए, किन्तु आज यदि 40 साल की इस उपभोक्ता संरक्षण यात्रा का आकलन करें तो ऐसा लगता है कि न्याय मांगने वालों को शीघ्र न्याय में विलम्ब तो देश के सामान्य न्याय व्यवस्था की तरह ही झेलना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ देशवासियों की बहुत बड़ी संख्या तो अभी तक अपने इस बहुमूल्य अधिकार के बारे में अंजान ही दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले तो उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के प्रति अज्ञानता की इस मूल कमी को दूर करने के लिए इसे शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में तो यह एक अच्छा विषय बनाया जा सकता है, बल्कि हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू सहित देश की सभी भाषाओं की पुस्तकों में मैट्रिक और इंटर स्तर पर भी कुछ न कुछ पाठ जोड़े जा सकते हैं। जब तक ऐसे पाठ्यक्रम सम्भव न हों, तब तक विद्यालयों में गोष्ठियों या नुक्कड़ नाटकों की तरह जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। देश के गैर–सरकारी सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी ऐसे अभियानों में शामिल किया जा सकता है। उपभोक्ता अदालतों के माध्यम से जो उपभोक्ता संरक्षण अभियान तीव्र गति से चलना चाहिए था, वह भी आज दिखाई नहीं दे रहा। कहने को उपभोक्ता अदालत व्यवस्था इस रूप में गठित की गई थी कि जिसमें एक सामान्य शिकायत पत्र पर कार्रवाई सम्भव हो सकती थी, परन्तु यहां भी सामान्य अदालतों की तरह छोटी सी राशि वाले मामले में भी वकील करना पड़ता है, मुकद्दमा तैयार होता है, दस्तावेज लगाए जाते हैं, फिर गवाहों की उपस्थिति से याचिका के तथ्यों को सिद्ध करना पड़ता है और अन्त में वकीलों की बहस और फिर आदेश की प्रतीक्षा। इतना ही नहीं, तीन स्तर की अपील पद्धति शिकायतकर्त्ता के लिए आशा के स्थान पर निराशा, थोड़ी सी राशि का दावा करने के स्थान पर उससे अधिक राशियां इस अदालत व्यवस्था की भेंट चढ़ाना और पल भर के निर्णय के स्थान पर दिन, महीने, साल यूं गुजरते जाएंगे तथा तारीख पर तारीख जैसे डायलाग उपभोक्ता अदालतों पर भी बोले जाते हैं। सामान्यतः उपभोक्ताओं की शिकायत किसी घरेलू वस्तु या सेवा से सम्बंधित होती है। ऐसी छोटी–छोटी शिकायतों के निरीक्षण, परीक्षण में सामान्य विवेक का इस्तेमाल करते हुए भी शीघ्र निर्णय सम्भव है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ राशि का भुगतान करने के लिए चौक जारी किया। दूसरे व्यक्ति ने वह चौक अपने बैंक में जमा करवा दिया। बैंक द्वारा राशि प्राप्त होने पर वह राशि किसी गलत खाते में जमा कर दी गई। अब ऐसी सामान्य त्रुटि वाली शिकायत पर किस चीज का गम्भीर या गहरा परीक्षण किया जाना है। शिकायत के साथ व्यक्ति चौक जमा कराने की कॉपी और जिस बैंक से राशि निकली, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता है तो ऐसे मामलों में सारी अदालती प्रक्रिया को लम्बी अवधि की तारीखों के साथ निपटाने में यदि 1–2 वर्ष लग जाते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपभोक्ता न्याय प्रणाली में विवेकशीलता या गतिशीलता का तो कोई स्थान ही नहीं है। सामान्य अदालतों की तरह अब उपभोक्ता अदालतों में भी ई–फाईलिंग अर्थात याचिका और सभी दस्तावेजों को पी.डी.एफ. के रूप में अदालतों के निर्धारित काऊंटर पर फाईल करना और इसी प्रक्रिया का अनुसरण जवाब, गवाहियां और लिखित बहस तक किया जाना किसी भी दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अभियान को एक जन आन्दोलन बनने में सहायता नहीं कर सकता। सूचना के अधिकार ने भी एक आन्दोलन की तरह कानून का रूप लिया था। निःसंदेह यह अभियान तीव्र गति से चल रहा है। हाथ से लिखकर किसी भी विभाग को सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। सामान्यतः 30 दिन के अन्दर उत्तर भी आ ही जाता है। संतोषजनक उत्तर न होने पर अपील भी हस्तलिखित दी जा सकती है और उसका निपटारा भी शीघ्र होता है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सूचना आयोग भी इसी प्रकार यथा सम्भव तीव्र गति और अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि केन्द्रीय सूचना आयोग में सुनवाई के लिए 15–15 मिनट के स्लैब निर्धारित किए जाते हैं, जिससे पक्षकारों का समय व्यर्थ नहीं होता। वकील के माध्यम से बहस करो या पक्षकार स्वयं बहस करे। बहस किसी भी भाषा में की जा सकती है और यहां तक कि आवश्यकता पडने पर लिखित बहस के रूप में हाथ से ही संक्षिप्त बिन्दू लिखकर अदालत को दे दिए गए। उपभोक्ता आन्दोलन को भी सूचना के अधिकार जैसी पद्धति अपनानी चाहिए।

राशिफल

मेष :– पुराने गलतियो से सीख लेते हुए वर्तमान को सुधारें। अच्छे कायरे से परिजनो के दिल में जगह बनावें। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न करें।

बृषभ :– भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ति में असमर्थता जैसी पूर्वाग्रह मन में निराशा पैदा करेगी। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।

मिथुन :– मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरे में न गंवायें। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ संभव। संवेदनशील शरीर ग्रहो की प्रतिकूलता से बिमार पड़ सकता है।

कर्क :– सब कुछ सामान्यतः ठीक होते हुए भी मन में अरुचितकर लगेगा। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट होगा। पिता के स्वास्य के प्रति सचेत रहें।

सिंह :– किसी की अस्वस्थता से परिवार में कष्ट का वातावरण रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यवश घर से दूर जाना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कायरे के प्रति आलस्य न करें, नुकशान हो सकता है।

कन्या :– प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव उन प्रतिभाओं के लाभ से वन्चित हो सकता है। कल्पनाओं में जीना छोड़ कर भौतिक जगत के अनुरुप चलने का प्रयास करें।

तुला :– योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। मस्त–मौला मन मौज मस्ती समय ब्यर्थ कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में परिश्रम तिब्र होगा।

वृश्चिक :– नये घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन अत्यंत प्रसन्न होगा। नये कायरे के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न शील बनें।

धनु :– नए क्षेत्रों मे प्रयास से लाभ संभव है। समस्याओ के समाधान से उत्साह में बृद्धि होगी। नए सम्बन्धों के सहयोग से आर्थिक कठिनाईयां दूर होंगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव।

मकर :– सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ति में असमर्थता जैसी पूर्वाग्रह मन में निराशा पैदा करेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव पहुंच सकता है।

कुंभ :– किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिया गया निर्णय से पश्चाताप का कारण बन सकता है। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।

मीन :– मन को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। भाग्य से प्राप्त अच्छे–बुरे सभी परीस्थितियों के साथ समझौतावादी बनें। अपने सुख–दुख को छोड़ परिजनों के सुख के बारे में सोचें।

कब कटेगी सांसदों और विधायकों की पेंशन?

–डॉ. सत्यवान सौरभ

सरकार जब भी आर्थिक अनुशासन, बजट संतुलन या खर्च घटाने की बात करती है, तो सबसे पहले निशाने पर सामाजिक पेंशन योजनाएँ आ जाती हैं। विशेष रूप से बुढ़ापा पेंशन को लेकर बार–बार समीक्षा, कटौती और पात्रता की शर्तें सख्त करने की चर्चाएँ सामने आती रही हैं। हालिया बयानबाजी ने एक बार फिर यह मूल सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आर्थिक सुधारों का भार हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्गकृबुजुर्गों, किसानों और मजदूर परिवारोंकृपर ही क्यों डाला जाता है? बुढ़ापा पेंशन कोई सरकारी कृपा या रियायत नहीं है। यह उस सामाजिक अनुबंध का हिस्सा है, जिसमें राज्य यह स्वीकार करता है कि जिन नागरिकों ने अपनी पूरी उम्र देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में लगा दी, उन्हें बुढ़ापे में न्यूनतम सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। खेतों में पसीना बहाने वाले किसान, ईंट–भट्टों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारीकृइनमें से अधिकांश के पास न तो कोई पेंशन फंड होता है और न ही स्थायी बचत। ऐसे में बुढ़ापा पेंशन उनके लिए दवा, राशन और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का आधार बनती है। इसके बावजूद जब भी सरकारी खजाने पर दबाव की बात आती है, तो सबसे आसान रास्ता बुजुर्गों की पेंशन पर कैंची चलाना मान लिया जाता है। कभी फसल का बहाना, कभी ज़मीन का रकबा, कभी पारिवारिक आय और कभी बैंक खाते की तकनीकी खामियाँकृइन सब कारणों से हजारों पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रशासनिक कम और अमानवीय अधिक प्रतीत होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फसल, ज़मीन और आमदनी की ये सख्त कसौटियाँ केवल आम नागरिकों पर ही क्यों लागू होती हैं? क्या यही मानक विधायकों और सांसदों की पेंशन पर भी लागू होते हैं? क्या कभी यह जाँच की जाती है कि जनप्रतिनिधियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है और उन्हें पेंशन की आवश्यकता है भी या नहीं? वास्तविकता यह है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाएं उस वर्ग को प्राप्त होती हैं जो पहले से आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। कई विधायक और सांसद एक से अधिक बार निर्वाचित होने के बाद कई–कई पेंशन के हकदार बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें वेतन, भत्ते, सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और अन्य विशेष सुविधाएँ भी मिलती हैं। इसके बावजूद इन पेंशनों पर न तो कोई स्पष्ट सीमा तय है और न ही इस पर गंभीर सार्वजनिक बहस होती है। यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता हैकृनीति और कानून सबके लिए समान होने चाहिए। यदि आम नागरिक से उसकी मामूली आय का हिसाब माँगा जा सकता है, तो जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं? यदि बुजुर्ग किसान की दो बीघा ज़मीन के आधार पर उसकी पेंशन रोकी जा सकती है, तो करोड़ों की संपत्ति वाले नेताओं की पेंशन पर सवाल क्यों नहीं उठते? सरकार अक्सर यह तर्क देती है कि सामाजिक योजनाओं में अपात्र लोग शामिल हो जाते हैं, इसलिए सख्ती आवश्यक है। यह तर्क आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसका समाधान यह नहीं हो सकता कि जरूरतमंदों को ही व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए। अपात्रता की आड़ में पात्र लोगों को दंडित करना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। यदि सरकार वास्तव में पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी और टिकाऊ बनाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ खर्च और सुविधाएं सबसे अधिक हैं। विधायकों और सांसदों की पेंशन पर स्पष्ट सीमा तय करना, बार–बार चुनाव जीतने पर अलग–अलग पेंशन देने की व्यवस्था समाप्त करना और एक समान पेंशन नीति लागू करना इस दिशा में एक ठोस कदम हो सकता है। यह भी समझना ज़रूरी है कि सामाजिक पेंशन पर किया गया खर्च कोई बोझ नहीं, बल्कि निवेश है। बुजुर्गों के हाथ में थोड़ी–सी आर्थिक सुरक्षा न केवल उन्हें सम्मानजनक जीवन देती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देती है। यह राशि सीधे बाज़ार में जाती हैकृ दवा की दुकानों, किराना स्टोरों और स्थानीय सेवाओं में खर्च होती है। इसके विपरीत, पेंशन बंद होने का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कहीं अधिक नकारात्मक होता है। लोकतंत्र में नीतियों का उद्देश्य कमजोर को मजबूत बनाना होना चाहिए, न कि मजबूर को और कमजोर करना। जब बुजुर्गों से उनकी आखिरी आर्थिक सहायता भी छीन ली जाती है, तो यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि एक गंभीर नैतिक प्रश्न बन जाता है। क्या एक सभ्य समाज अपने बुजुर्गों को इस तरह असहाय छोड़ सकता है? अंततः सवाल केवल पेंशन का नहीं, बल्कि नीति की प्राथमिकताओं का है। क्या सरकार का ध्यान सबसे कमजोर नागरिकों पर है या सबसे सुविधासंपन्न वर्ग पर? जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक पेंशन पर कटौती का मुद्दा एक आर्थिक बहस से अधिक, सामाजिक अन्याय का प्रतीक बना रहेगा।

सुरक्षित डिजिटल भविष्य : सावधानी, शिक्षा और सशक्त निगरानी की जरूरत

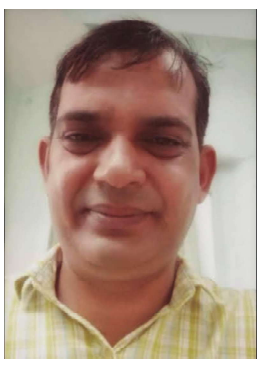

–सुनील कुमार महला

आज एआई का दौर है, सूचना क्रांति का युग है,जहाँ मशीनें मनुष्य सोच को नई उड़ान देती हैं।सच तो यह है कि आज के समय में ज्ञान, काम और रचनात्मकता सब बदल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव और तकनीक मिलकर भविष्य गढ़ रहे हैं। वास्तव में यह युग है नवाचार, गति और असीम संभावनाओं का, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) ने जहां रचना और सूचना प्रसार को नई गति दी है, वहीं इसके दुरुपयोग भी गंभीर चिंता पैदा कर रखी है। यहां यदि हम सरल शब्दों में कहें तो डीपफेक वीडियो, नकली तस्वीरें और एआई से बनी झूठी सामग्री लोगों को धोखा दे रही हैं और उनकी बदनामी भी कर रही हैं। इससे साइबर ठगी बढ़ रही है और समाज में भ्रम फैल रहा है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि साइबर ठगी पर हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि यह एक गंभीर और तेजी से बढ़ता अपराध है, जो आम लोगों की मेहनत की कमाई और भरोसे दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। अदालत ने इसे केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक खतरा बताते हुए सरकार और एजेंसियों को इससे सख्ती से निपटने की जरूरत पर जोर दिया है।इस क्रम में हाल ही में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा तैयार हर फोटो, वीडियो पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई गलत, गैर–कानूनी वीडियो या फोटो डाली जाती है, तो कंपनियों को उसे सूचना मिलने के सिर्फ तीन घंटे में हटाना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने डीपफेक और एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यह नए नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। उल्लंघन करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई एवं जुर्माना लग सकता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी 2026 मंगलवार को सभी विभागों को यह निर्देश दिया कि लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सभी बैंक, आई4सी, विभाग सामूहिक प्रयास करें, ताकि ठगों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं,केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने आरबीआई और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए म्यूल अकाउंट हंटर ऐप को सभी बैंकों को अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने सीबीआई द्वारा गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4 सी) के सहयोग से आयोजित सम्मेलन के दौरान यह बात कही है कि देश में हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर ठगों का शिकार बन रहा है। प्रति घंटे औसतन सौ लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वर्ष 2021 में जहां 52 हजार शिकायतें थीं, वहीं अब यह संख्या 86 हजार हो गई है।गृह मंत्री ने कहा, जितनी तेजी से डिजिटल लेनदेन बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से जोखिम बढ़ा है। पहले यह श्लोन वुल्फ अटैकर हुआ करता था, अब यह संगठित अपराध के रूप में सामने आ रहा है। अपराधी नई तकनीक अपना रहे हैं, इसलिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। गौरतलब है कि इस क्रम में यानी कि साइबर सुरक्षा के मद्देनजर 12 लाख सिम कार्ड भी रद्द किए गए हैं।इस दौरान श्री शाह ने 1930 के कॉल सेंटर पर पर्याप्त संख्या में कॉल हैंडलर तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि साइबर धोखाधड़ी के विभिन्न खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आईटी नियम, 2021 में जो नया बदलाव किया है, वह इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक जरूरी और सही व सकारात्मक कदम है। जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी चर्चा कर चुका हूं कि आगामी 20 फरवरी से लागू होने जा रहे इन नियमों के तहत अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) से तैयार किए गए फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फेक कंटेंट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर मात्र तीन घंटे कर दी गई है। बहुत अच्छी बात यह है कि नए प्रावधानों के तहत एआइ कंटेंट में स्थायी मेटाडेटा और डिजिटल पहचान चिह्न जोड़ने की अनिवार्यता भी तय की गई है, ताकि ऐसे कंटेंट की पहचान आसानी से की जा सके। यह बदलाव डिजिटल पारदर्शिता और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। नए नियमों का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब एआइ से बने कंटेंट को छिपाना आसान नहीं रहेगा। वास्तव में, डिजिटल सामग्री पर सही लेबल और पहचान चिह्न होने से आम आदमी यह समझ सकेगा कि जो वह देख रहा है, वह असली है या तकनीक से बनाई गई है। इससे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें और झूठी खबरें कम होंगी। खासकर चुनाव, सामाजिक मुद्दों और संवेदनशील घटनाओं के समय यह लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।लेकिन सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है।यह भी बहुत ही ज़रूरी व आवश्यक है कि उन्हें सख्ती से पूरे देश में लागू भी किया जाए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं और कंटेंट की मात्रा भी बहुत बड़ी है। यहां यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट का दायरा तेज़ी से फैल चुका है। देश में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूज़र हैं और स्मार्टफोन के ज़रिये डिजिटल खपत लगातार बढ़ रही है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर करोड़ों सक्रिय यूज़र रोज़ाना वीडियो, रील्स, न्यूज़, पॉडकास्ट और शॉर्ट–फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो बाज़ारों में गिना जाता है, जहाँ औसतन एक यूज़र दिन में कई घंटे डिजिटल कंटेंट पर बिताता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म (नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार आदि) के सब्सक्राइबर भी करोड़ों में हैं, जबकि डिजिटल न्यूज़, क्रिएटर इकॉनमी और लोकल–भाषा कंटेंट की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ी है। कुल मिलाकर, भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म आज सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और रोज़गार–चारों के लिए एक मज़बूत आधार बन चुके हैं। इसलिए मजबूत तकनीकी निगरानी, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करना और नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। अगर नियमों को हल्के में लिया गया, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा।इसके साथ ही नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। लोगों को यह समझना होगा कि हर वायरल वीडियो या तस्वीर सत्य नहीं होती। जागरूक उपयोगकर्ता ही फेक कंटेंट की श्रृंखला को तोड़ सकता है। सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। भ्रमजाल फैलने से रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों के साझा प्रयासों की दरकार है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर यही कहूंगा कि डिजिटल तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ–साथ डिजिटल धोखाधड़ी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, नकली ऐप, साइबर ठगी और डेटा चोरी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और भरोसे पर पड़ता है। यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि जागरूकता, कानून और साइबर सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। जब तक उपयोगकर्ता सतर्क नहीं होंगे, डिजिटल साक्षरता नहीं बढ़ेगी और नियमों का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक इस खतरे पर पूरी तरह अंकुश लगाना मुश्किल है। इसलिए सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए सावधानी, शिक्षा और मजबूत निगरानी तंत्र तीनों अनिवार्य हैं।

शोक सभाओं का दुर्भाग्यपूर्ण भव्यकरण

–डॉ. प्रियंका सौरभ

किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके उत्सवों से नहीं, बल्कि उसके शोक से होती है। समाज दुःख को किस तरह ग्रहण करता है, उसे किस गरिमा और संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करता हैकृयही उसकी मानवीय परिपक्वता का पैमाना है। दुर्भाग्यवश, आज हमारा समाज इस कसौटी पर खरा उतरता हुआ नहीं दिखता। शोक सभाएं, जो कभी दुःख बांटने और शोकाकुल परिवार को संबल देने का सहज माध्यम थीं, अब धीरे–धीरे भव्यता, प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिस्पर्धा का मंच बनती जा रही हैं। आज देश के अनेक हिस्सों में प्रमुख अखबारों के पन्ने पलटते समय यह दृश्य सामान्य हो गया है कि एक ही व्यक्ति के लिए दस, बीस या पचास शोक संदेश एक ही दिन प्रकाशित हो रहे हैं। वे भी साधारण नहीं, बल्कि रंगीन, बड़े फॉन्ट में, कई बार पूरे–पूरे पृष्ठों पर। शोक संदेश अब सूचना नहीं, बल्कि विज्ञापन का रूप ले चुके हैं। कभी छहदृसात पंक्तियों का श्वेत–श्याम शोक संदेश ही यह बताने के लिए पर्याप्त होता था कि अमुक व्यक्ति का निधन हो गया है और अमुक स्थान पर शोक सभा आयोजित है। रिश्तेदार और परिचित बिना किसी तामझाम के पहुंच जाते थे। उस समय शोक की अभिव्यक्ति में सादगी थी, मौन था और आत्मीयता थी। समय के साथ यह सादगी कहीं खोती चली गई। आज शोक संदेश का आकार, उसका रंग, उसका स्थान और उसका खर्चकृसब कुछ सामाजिक हैसियत का प्रतीक बन गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मृत्यु जैसे अंतिम सत्य को भी हमने स्टेटस सिंबल में बदल दिया है। अब यह देखा जाता है कि किस परिवार ने कितना बड़ा शोक संदेश दिया, किसने रंगीन दिया और किसका संदेश पहले पन्ने पर छपा। शोक सभाओं का स्वरूप भी इसी प्रवृत्ति का प्रतिबिंब बन गया है। अब साधारण बैठक या घर के आंगन में बैठकर संवेदना प्रकट करने का चलन कम होता जा रहा है। उसकी जगह विशाल मंडप, सजे हुए पंडाल, सफेद पर्दे, कालीन और भव्य साज–सज्जा ने ले ली है। कई बार तो शोक सभा किसी बड़े बैंक्वेट हॉल या मैरिज गार्डन में आयोजित की जाती है, जहां का वातावरण शोक से अधिक किसी सामाजिक समारोह जैसा प्रतीत होता है। मंच पर मृतक का बड़ा, सुसज्जित चित्र रखा जाता है, पुष्पमालाओं और सजावटी रोशनी के बीच। शोकाकुल परिवार के सदस्य भी पूरी तरह सज–संवरकर आते हैं। उनका पहनावा, उनकी देहभाषा और उनका व्यवहार किसी गहरे दुःख की अनुभूति नहीं कराता। ऐसा नहीं है कि वे दुःखी नहीं हैं, लेकिन शोक की वह स्वाभाविक सादगी, वह मौन पीड़ा, इस भव्यता में दब जाती है। शोक सभा में उपस्थित लोगों की संख्या अब संवेदना का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का पैमाना बन चुकी है। कितने लोग आए, कितनी गाड़ियां आईं, कितने नेता पहुंचे, कितने अधिकारी आएकृ इन सबकी गिनती और चर्चा होती है। शोक सभा समाप्त होने के बाद भी यह मूल्यांकन चलता रहता है कि "अमुक व्यक्ति तो आया ही नहीं" या "फलां बड़े साहब भी पहुंचे थे।" मानो शोक सभा मृतक के प्रति श्रद्धांजलि न होकर सामाजिक शक्ति प्रदर्शन का अवसर हो। यह प्रवृत्ति केवल तथाकथित उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रही है। छोटे और मध्यमवर्गीय परिवार भी अब इस होड़ में शामिल होते जा रहे हैं। वे जानते हैं कि इस तरह का आयोजन उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर है, फिर भी सामाजिक दबाव के कारण वे पीछे हट नहीं पाते। परिणामस्वरूप शोक सभा, जो मानसिक संबल देने का अवसर होनी चाहिए, आर्थिक बोझ में बदल जाती है। कई परिवार इस बोझ को उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन "लोग क्या कहेंगे" के भय से मजबूरी में यह सब करते हैं। इस भव्य आयोजन में खान–पान की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई है। चाय, कॉफी, मिनरल वाटर, नाश्ता और कई बार भोजन तक की व्यवस्था की जाती है। इन व्यवस्थाओं की गुणवत्ता और विविधता पर भी ध्यान दिया जाता है। यह दृश्य उस मूल भावना से बिल्कुल विपरीत है, जिसके तहत शोक सभा का आयोजन किया जाता है। शोक सभा का उद्देश्य लोगों को खिलाना नहीं, बल्कि शोकाकुल परिवार के दुःख में सहभागी बनना है। शोक सभाओं में शामिल होने वाला व्यक्ति भी कई बार असमंजस में पड़ जाता है। वातावरण देखकर यह महसूस ही नहीं होता कि वह किसी शोक सभा में आया है। नए–नए रिवाज गढ़ लिए गए हैं, जबकि पुराने, सरल और गरिमामय रिवाज धीरे–धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। एक और चिंताजनक पहलू यह है कि पुण्य स्मृति और पुण्य तिथि जैसे अत्यंत निजी भाव भी अब सार्वजनिक प्रदर्शन का माध्यम बनते जा रहे हैं। किसी प्रियजन को याद करना एक व्यक्तिगत अनुभूति है। उसकी स्मृति मन में, परिवार के बीच और सादगी के साथ जीवित रहनी चाहिए। फिर यह आवश्यकता क्यों महसूस होती है कि बरस दर बरस अखबारों में बड़े–बड़े विज्ञापन देकर पूरे समाज को बताया जाए कि आप आज भी अपने प्रिय को याद करते हैं? क्या स्मरण का मूल्य उसके प्रचार में निहित है? यह प्रश्न केवल परंपरा का नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का भी है। जब निजी दुःख सार्वजनिक दिखावे में बदल जाता है, तो उसकी आत्मा खो जाती है। शोक, जो आत्ममंथन और विनम्रता का अवसर होना चाहिए, वह अहं और प्रदर्शन का साधन बन जाता है। समय आ गया है कि समाज इस प्रवृत्ति पर गंभीरता से विचार करे। हमें यह समझना होगा कि मृत्यु किसी की सामाजिक हैसियत नहीं पूछती। वह सबको समान बना देती है। ऐसे में शोक की अभिव्यक्ति भी समान, सरल और गरिमामय होनी चाहिए। शोक सभा का उद्देश्य मृतक के प्रति श्रद्धांजलि देना और जीवितों को सांत्वना देना है, न कि समाज के सामने अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना। मीडिया, सामाजिक नेतृत्व और स्वयं समाज को मिलकर इस दिशा में आत्मसंयम दिखाना होगा। अखबारों को भी यह सोचना चाहिए कि शोक संदेशों को विज्ञापन के रूप में बढ़ावा देना कहीं इस प्रवृत्ति को और तो नहीं बढ़ा रहा। सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड शोक संदेशों के आकार से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना से तय होना चाहिए। अंततः, शोक का सबसे सुंदर स्वरूप वही है जिसमें कम शब्द हों, कम दिखावा हो और अधिक संवेदना हो। मौन में कही गई बात, भव्य मंच से बोले गए भाषण से कहीं अधिक गहरी होती है। शोक सभाएं अत्यंत सादगीपूर्ण ही होनी चाहिए। यही मृतकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और यही एक संवेदनशील समाज की पहचान भी।

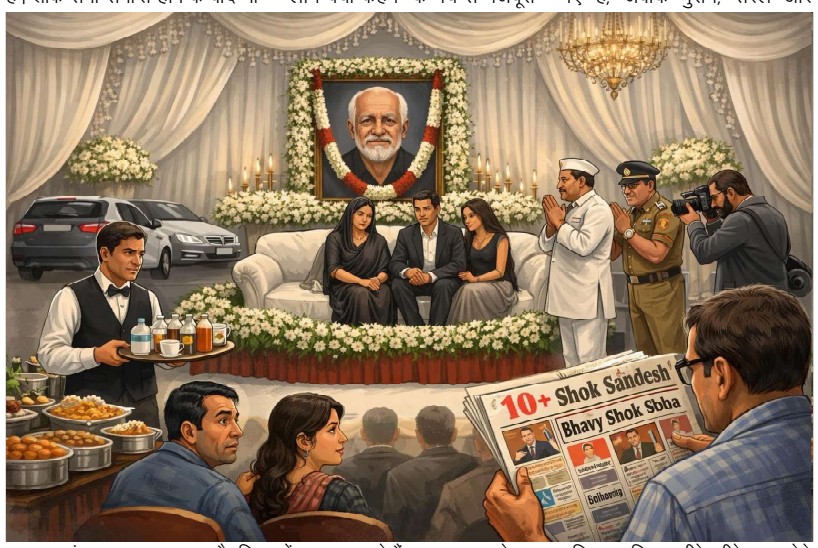

जगमग हुए प्रदेश के सभी गांव, उद्यमों ने पकड़ी रफ्तार

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजना से सभी गांवों में विद्युतीकरण
ग्रामीण बिजली आपूर्ति से कृषि, डेयरी, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार को मिला बढ़ावा
आरडीएसएस के तहत लाइन अपग्रेडेशन, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और स्मार्ट मीटरिंग

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। वर्ष 2017 से पहले बिजली की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के गांव अब जगमगा रहे हैं। योगी सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को विकास की बुनियाद बनाया और योजनाबद्ध तरीके से हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। घर–घर बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार के बजट 2026–27 में बिजली क्षेत्र को 65,926 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया गया है। जर्जर लाइनों को बदला गया और नए उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' के जरिए लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। इससे ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदलती दिख रही है। अब गांवों में न केवल घरेलू रोशनी बल्कि कृषि और लघु उद्योगों को भी निर्बाध बिजली मिल रही है। संशोधित वितरण क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत गांवों में वितरण तंत्र को और सुदृढ़ किया जा रहा है। पुराने कंडक्टर बदले जा रहे हैं, लो टेंशन एबी केबल बिछाई जा रही हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। स्मार्ट मीटरिंग को भी तेजी से लागू किया जा रहा है जिससे कि बिजली चोरी पर अंकुश लगे और आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर हो। इन कदमों से ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या में कमी आई है और उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण का सीधा लाभ खेती और स्वरोजगार के क्षेत्र में मिल रहा है। सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति बेहतर होने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, आटा चक्की, वेल्डिंग और अन्य छोटे व्यवसायों को निरंतर बिजली मिलने से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखा जा रहा है, क्योंकि विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों को अब बिजली की कमी से जूझना नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा तभी साकार होगी जब गांव मजबूत होंगे। ग्रामीण उत्तर प्रदेश को ऊर्जा संपन्न बनाकर सरकार ने विकास की नई आधारशिला रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत बिजली ढांचा प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में और अधिक सशक्त करेगा।

जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे निर्बाध बिजली

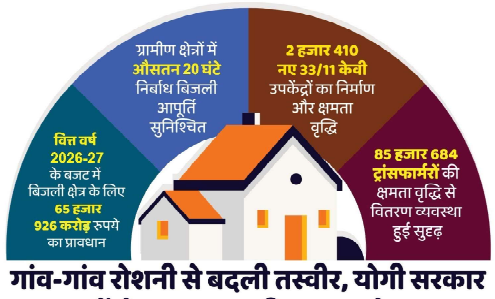

गांव-गांव रोशनी से बदली तस्वीर, योगी सरकार में रोशन हुआ ग्रामीण उत्तर प्रदेश

वित्त वर्ष 2025–26 में दिसंबर 2025 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 20 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर औसतन 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में एक अप्रैल, 2022 से वर्ष 2025–26 तक कुल 2,410 नए 33/11 केवी विद्युत् उपकेंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना और 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया गया है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में हो सकते हैं शामिल, अटकलों पर लगेगा विराम

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन रहे नसीमुद्दीन जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ कई पूर्व विधायक भी सपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सपा में शामिल होने की चर्चाओं ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने से कई राजनीतिक दलों और नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनका खासा प्रभाव रहा है। सूत्र यह भी संकेत दे रहे हैं कि अपना दल (एस) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो सपा की सियासी ताकत और मजबूत हो सकती है। गौरतलब है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज थीं। अब सपा में शामिल होने की खबरों से इन अटकलों पर विराम लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक संबंधित नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

भाजपा विधायक पर भड़के स्पीकर सतीश महाना

कहा, सदन आप चलाएंगी, माइक फेक कर चले गए बाहर

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के दौरान आज हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी ही पार्टी विधायक पर भड़क गए। सतीश महाना ने गुस्से में आकर अपना माईक और हेड़फोन फेक कर सदन से बाहर चले गए। बाहर जाने से पहले उन्होने भाजपा विधायक केतकी सिंह को कहा क्या आप चलाएंगी सदन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के दौरान लोक सेवा आयोग से जुड़ी भर्तियों के मुद्दो को लेकर चर्चा चल रही थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर सवाल उठाया, जिस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सवाल का जवाब दिया। जवाब खत्म होने के बाद रागिनी फिर से कुछ पूछने लगीं, जिस पर भाजपा विधायकों ने टोका–टोकी और शोर मचाना शुरू कर दिया। इस शोर–शराबे से नाराज होकर स्पीकर सतीश महाना ने सीधे भाजपा विधायक केतकी सिंह का नाम लेकर कहा कि अब आप हाउस चलाओगी। आप सब लोगों को हाउस चलाना है क्या। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में आकर हेडफोन और माइक फेंक दिया और कुर्सी से उठकर सदन से बाहर चले गए। सतीश महाना भाजपा के वरिष्ठ नेता है और कानपुर नगर के

महराजपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक है। सतीश महाना सदन में आमतौर पर सख्त अनुशासन बनाए रखते हैं, लेकिन इस बार अपनी ही पार्टी के विधायकों पर भड़क गए। इससे पहले भी सतीश महाना अपनी ही पार्टी के विधायको पर नाराज हो चुके है। यह बजट सत्र के दौरान अनुशासन और सदन की कार्यवाही को लेकर तनाव का संकेत देता है। यह पूरी घटना सदन की गरिमा और अनुशासन पर सवाल उठा रही है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक कार्रवाई या बयान स्पीकर की तरफ से नहीं आया है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पीकर सतीश महाना को शायरी सुनाकर मनाया। उन्होने कहा कि आज दुनिया को तरकीब बता दी जाए, दुश्मनी प्यार की लहरों में बहा दी जाए।इसके बाद सदन तालियों से गूंज उठा।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 16,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग 40 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के माध्यम से स्थापित करेगा 800 नई इकाइयां
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में 800 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसके माध्यम से राज्य में 16,000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही विभाग की पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो प्रदेश की स्थापित इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके संचालन और विस्तार में सहयोग प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और बैंक ऋण के माध्यम से लघु, कुटीर उद्यमों की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत विभाग वर्ष 2026–27 में 40 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के माध्यम से 800 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य तय किया है, जिसके माध्यम से लगभग 16,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से सब्सिडी आधारित ऋण उपलब्ध करवाती है। साथ ही विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण समेत अन्य जरूरी सहयोग प्रदान करता है। इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ उनका पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।

पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान

पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा प्रदान करती है। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यम इकाइयों को वित्तीय बोझ से राहत देकर उनकी निरंतरता और विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना और श्एक जिला एक उत्पादश जैसी पहल से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। योगी सरकार के ये कदम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ विकसित उत्तर प्रदेश / 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

संक्षिप्त

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित नही कर सकते-अनिल राजभर

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सदस्य संग्राम सिंह यादव ने श्रम एवं सेवायोजन मंत्री से जानना चाहा कि प्रदेश में संविदा प्रणाली, आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने खातिर सरकार की कोई नीति है या नही।क्या सरकार उन्हें स्थाई करने पर विचार करेगी। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि आजमगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। 7–8 महीने से वे आंदोलन कर रहे हैं। आप संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं करते? जवाब में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। हमने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बनाया है।

विपक्षी सदस्यों ने किया स्पीकर का मूड सामान्य

संवाददाता

लखनऊ। विधानसभा सत्र के पांचवें दिन 11.45 बजे सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चार सालों में यूपी विधानसभा का परसेप्शन पूरे देश में बहुत अच्छा गया है। इसमें केवल मेरा योगदान नहीं है। यह सभी 403 सदस्यों के प्रयासों से हुआ है। अध्यक्ष ने कहा कि दो सदस्यों ने इसी हाउस में शर्ट उतारी थी। मेरा मानना है कि वह केवल दो सदस्यों ने शर्ट नहीं उतारी थी। वह 403 सदस्यों की शर्ट उतरी थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई भी सदन चलाएगा। यह नहीं होगा। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों कमाल अख्तर, महबूब अली, संग्राम सिंह यादव, आराधना मिश्रा मोना और सत्ता पक्ष से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी की कुछ पंक्तियां पढ़कर सदन के माहौल को हल्का किया। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ी।

राज्य के बड़े करदाताओं को बड़ी राहत, अब वर्चुअली होगी व्यक्तिगत सुनवाई

20 फरवरी से होगी प्रभावी प्रक्रिया

संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टैक्स प्रणाली को सरल बनाने व तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग द्वारा बड़े करदाताओं को सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य कर विभाग ध्द्वारा प्रदेश के बड़े करदाताओं के लिये वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू किए जाने से समस्याओं का प्रभावी समाधान होगा। इससे न्याय निर्णयन की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी, समयबद्ध और करदाता–हितैषी बनेगी। संयुक्त आयुक्त कारपोरेट एवं संयुक्त आयुक्त कारपोरेट सेल–ऑयल सेक्टर स्तर पर लागू होने वाली वर्चुअल सुनवाई की यह प्रक्रिया 20 फरवरी से प्रभावी होगी। प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत प्रदेश के संयुक्त आयुक्त कारपोरेट एवं संयुक्त आयुक्त कारपोरेट सेल–ऑयल सेक्टर स्तर पर पंजीकृत करदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई सामान्य परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से वर्चुअल होगी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं के अनुरूप होगी। प्रदेश में पंजीकृत बड़े करदाताओं की न्याय निर्णयन से जुड़ी व्यक्तिगत सुनवाई अब वर्चुअल सुनवाई से की जाएगी। बड़े करदाताओं के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प भी रहेगा कि अगर किसी कारण से वर्चुअल सुनवाई के स्थान पर करदाता खुद अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधिकारी के सामने उपस्थित होकर सुनवाई कराना चाहें तो उनके प्रार्थना पत्र पर विचार कर उनको यह अवसर भी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आयुक्त राज्य कर डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि राज्य कर विभाग में कारपोरेट सर्किल का गठन बड़े करदाताओं को बेहतर, सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में जीएसटी से संबंधित कार्यवाहियों ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही हैं, लेकिन न्याय निर्णयन के कतिपय मामलों में करदाताओं को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। भौतिक सुनवाई की इस प्रक्रिया में कई बार करदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि ा समय पर उपस्थित नहीं हो पाते थे, जिससे स्थगन लेना पड़ता था। कभी–कभी नियत तिथि पर अधिकारी के अवकाश पर होने से भी त्वरित न्याय प्रदान करने की विभागीय मंशा प्रभावित होती थी। इससे न केवल मामलों के निस्तारण में देरी होती थी बल्कि करदाता और विभाग–दोनों का समय, श्रम और संसाधन भी अनावश्यक रूप से खर्च होते थे।

सड़क दुर्घटनाओ का प्रमुख कारण हाई स्पीड

स्पीड कंट्रोल के लिए सरकार ने लगवाये जगह जगह कैमरे
18 वर्ष से कम आयु के लोगों को नही मिलता डीएल–दयाशंकर

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे सपा के सदस्य अनिल प्रधान के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के जवाब से शुरू हुई। परिवहन मंत्री ने ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया और उसके लिए निर्धारित शुल्क के बारे में सदन में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए कम से 18 साल की आयु निर्धारित है। सपा विधायक अनिल प्रधान ने प्रश्नकाल में परिवहन मंत्री से लड़कियों को स्कूटी दिए जाने को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा,इंटर पास करने वाले बच्चों की उम्र 15–16 साल होती है, तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस में छूट दी जाएगी? क्या कोई ऐसा नियम बनाया जाएगा कि कोई गाड़ी खरीदने जाए, तो उससे पहले उसके पास डीएल होना जरूरी हो? जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा– क्या आपके घर में कोई 15 साल में 12वीं पास कर लिया है? क्या आपने पास किया है? इस पर विधायक बोले कि हो जाता है सर। यह सुनकर स्पीकर हंसने लगे और कहा–अब तो 6 साल में ही एडमिशन होता है।परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों को हम ड्राइविंग लाइसेंस नही जारी करते हैं। उन्होंने एक अनुपूरक सवाल पर साफ किया कि रजिस्ट्रेशन से लेकर लाइसेंस तक अलग अलग फीस निर्धारित है, उसी के अनुसार पंजीकरण और लाइसेंस जारी होते हैं।एक अन्य सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों में हाई स्पीड शामिल है। हमारी सरकार ने हाई स्पीड रोकने को कैमरे लगवाए। लोग कैमरे के सामने गाड़ी की गति धीमी कर लेते हैं। इसको देखते हुए हमने इन और आउट का सिस्टम लगाया। लोग आउट होने के स्थान से पहले चाय के लिए रुक जाते हैं। फिर समय का संतुलन बनाते हैं लेकिन स्पीड कम नहीं करते। नो हेलमेट नो फ्यूल लागू किया गया। इसका भी तोड़ निकाल लिए। लोग पेट्रोल पंप के बाहर हेलमेट किराए पर देने लगे। कुल 351 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद का अध्याचन भेजा गया है।

नवयुग में भव्य अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

संवाददाता

लखनऊ। नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय की अध्यक्षता में एवं प्रबंधक विजय दयाल के संरक्षकत्व में रसायन शास्त्र विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर नेहा अग्रवाल के संयोजकत्व में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन ष्ब्रीजिंग डिसप्लींस थ्रू केमिकल साइंस फार ए सस्टेनेबल फ्यूचर–2026ष्हाईब्रिड मोड सेआयोजित हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं प्राचार्या के द्वारा सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ प्रारंभ हुआ।सभी अतिथियों का सम्मान अंगवस्त्रम् ,स्मृति चिन्ह, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ ईश मंगलाचरण से किया गया। मुस्कान मिश्रा बी ए द्वितीय सत्र ने दीप प्रज्जवलन मंत्र एवं सरस्वती गीत प्रस्तुत किया । महाविद्यालय प्राचार्या प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय द्वारा स्वागत भाषण किया गया एवं सेमिनार संयोजिका डॉ नेहा अग्रवाल द्वारा विषय प्रवर्तन किया गया।उद्घाटन सत्र मे कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर जे.पी. सैनी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजकुमार मित्तल कुलपति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्रीकांथ बी. जोनालगड्डा डरबन दक्षिण अफ्रीका की सराहनीय उपस्थिति में प्रारंभ हुआ । मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा–कि सतत विकास में रासायनिक विज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका पर्यावरण अनुकूल तकनीकों , हरित रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से प्रदूषण को कम करना है। विज्ञान मानव जीवन को सुगम बनाता है जब से मनुष्य का जीवन आरंभ हुआ है तब से रसायन विज्ञान भी हमारे अस्तित्व के साथ है लेकिन इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए इस सेमिनार में इस पर विचार मंथन होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना आर्थिक प्रगति संभव नहीं है सतत विकास के लिए रसायन विज्ञान अन्य सभी विषयों पर निर्भर है समाज में सामाजिक समरसता हो जाति–पांत सभी भेदभाव दूर हो तभी भारत का विकास समावेशी हो पाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी प्रकृति के साथ तालमेल बहुत आवश्यक है। रासायनिक विज्ञान सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन, उन्नत बैटरियों और ऊर्जा भंडारण तकनीकों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में सहायक है।अंतर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर जोनाल गड्डा एमेरिटस प्रोफेसर स्कूल आफ केमेस्ट्री एंड फिजिक्स युनिवर्सिटी आफ क्वाजुलु –नटाल दक्षिण अफ्रीका ने अपने व्याख्यान में कहा कि विज्ञान विकास का वह सशक्त आधार है जहां से सभी विचार जन्म लेते हैं रसायन विज्ञान के जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। डॉ नेहा अग्रवाल द्वारा संपादित दो पुस्तकों का तथा डॉ सुनीता सिंह द्वारा संपादित दो पुस्तकों का और प्रोफेसर सीमा पांडे द्वारा संपादित एक पुस्तक तथा सोवेनियर का विमोचन अतिथि गणों द्वारा किया गया।उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन आई .क्यू .ए .सी समन्विका प्रोफेसर संगीता कोतवाल द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र का संचालन विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र डॉ विनीता सिंह द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद द्वितीय सत्र में पैनल डिस्कशन डॉ सुखमनी के संचालन में प्रारंभ हुआ ।इस सत्र में पैनलिस्ट रूप में जियोलॉजी विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय केप्रोफेसर ख्वसेन सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय निशी पांडे, डॉ दीपा एच द्विवेदी ,बी .बी. ए. यू . लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉ मनीषा शुक्ला,ए.सी. टी सचिव प्रोफेसर रमेश यामगार मुंबई आदि उपस्थित रहे। सभी लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विचार व्यक्त किया और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रकृति का संरक्षण करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहिए संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए।

गुम नहीं गिरफ्तार हुए सपा प्रवक्ता, बाराबंकी पुलिस ने मनोज यादव को दबोचा

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को लेकर पिछले 48 घंटों से चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। जिसे लखनऊ पुलिस और परिजन श्लापताश समझकर तलाश रहे थे, उन्हें बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोज यादव को उनके साथियों के साथ सफदरगंज इलाके से हिरासत में लिया गया। मनोज यादव मंगलवार को काकोरी में एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से निकलने के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वे घर नहीं पहुंचे। परेशान परिवार ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस सीसीटीवी और लोकेशन खंगाल रही थी, तभी बाराबंकी पुलिस की इस कार्रवाई ने सबको चौंका दिया। बाराबंकी पुलिस के अनुसार, मनोज यादव उर्फ बबलू के खिलाफ सफदरगंज थाने में 11 फरवरी को एक मुकदमा (मु0अ0सं0 50/26) दर्ज हुआ था। उन पर आरोप है कि उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया (एससी–एसटी एक्ट)। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस इसी मामले में उनकी तलाश कर रही थी और बुधवार को उन्हें सफदरगंज इलाके से दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मनोज यादव का बड़ागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक विशेष टीम उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ लेकर रवाना हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तिलक समारोह से निकलने और गिरफ्तारी के बीच मनोज यादव कहां थे? बाराबंकी पुलिस अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ रही है ताकि यह साफ हो सके कि वे अपनी मर्जी से कहीं गए थे या गिरफ्तारी के डर से छिपे हुए थे।

नए आपराधिक कानूनों के प्रयोग से पुलिस प्रक्रिया हुई तीव्र एवं आसान - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

बस्तर की शांति के लिए सरकार प्रतिबद्ध- उपमुख्यमंत्री शर्मा

नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में पांचों स्तंभों को एकीकृत करने में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों एवं आगामी रणनीतियों को लेकर पत्रकारों से हुए रूबरू

बीएनई

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों के संबंध में नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के साथ ही हम एक नई सोच को लेकर कार्य कर रहे हैं। राज्य की क्षमता में विस्तार के लिए नए

आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन अन्तर्गत आइसीजेएस के तहत पांचों स्तंभों पुलिस, अभियोजन, फारेंसिक, जेल एवं न्यायालय को एकीकृत करने की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। दुर्ग एवं बिलासपुर जिले पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर पांचों पिलर्स को एकीकृत कर एक मॉडल जिले के रूप में उभर कर सामने आये हैं। पहले पुलिस को साक्ष्यों को लेकर कई बार समास्याओं का सामना करना पड़ता था अब ई– साक्ष्य के आने से तुरंत साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे आम नागरिकों को न्याय प्राप्ति में आसानी होगी। पुलिस कर्मियों के लिए अब तक किसी प्रकार की बीमा की व्यवस्था नहीं थी, जिस पर ध्यान देते हुए सरकार द्वारा 08 बैंकों के साथ एमओयू कर बिना किसी प्रीमियम के सैलरी अकाउंट पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि पुलिस कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए सीसीटीएनएस द्वारा मेडलीपार, ई–साक्ष्य, ई –सम्मन, ऑनलाइन एफआईआर, ई– साइन, ई– कोर्ट, ई– श्रुति के द्वारा कार्यों को त्वरित और आसान बनाया जा रहा है, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है। 8 बैंकों के साथ एमओयू कर बिना किसी प्रीमियम के सैलरी अकाउंट पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि पुलिस कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए सीसीटीएनएस द्वारा मेडलीपार, ई–साक्ष्य, ई –सम्मन, ऑनलाइन एफआईआर, ई– साइन, ई– कोर्ट, ई– श्रुति के द्वारा कार्यों को त्वरित और आसान बनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को न्याय प्राप्ति में आसानी होगी। पुलिस कर्मियों के लिए अब तक किसी प्रकार की बीमा की व्यवस्था नहीं थी, जिस पर ध्यान देते हुए सरकार द्वारा 08 बैंकों के साथ एमओयू कर बिना किसी प्रीमियम के सैलरी अकाउंट पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ पुलिस के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। यह पुलिस कर्मियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत अब तक 15 शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

शिकायतों के निराकरण हेतु ऑनलाईन कम्पलेंट मैनेजमेंट पोर्टल का निर्माण

गृह मंत्री ने बताया कि पहले अपराध समीक्षा हाथ से लिखकर उपलब्ध कराया जाता था जो पुलिस विवेचना में देरी होती थी, अब राज्य की अभिनव पहल के रूप में अपराध समीक्षा एप्लीकेशन से पूरे राज्य में दर्ज एफआईआर की निगरानी, समीक्षा एवं विश्लेषण की जा रही है। जहां समय–सीमा में अपराधों का विवेचना के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है जिससे जवाबदेहिता सुनिश्चित हो रही है और हर स्तर पर उसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु ऑनलाईन कम्पलेंट मैनेजमेंट पोर्टल का निर्माण किया गया है। पूर्व में शिकायतों को संबंधित जिलों में डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाता था और जिलों के द्वारा भी संबंधित शिकायतों का जांच प्रतिवेदन डाक के माध्यम से ही मुख्यालय को प्राप्त होता था। इस पोर्टल के निर्माण से इस प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है, जिससे संसाधनों व समय की बचत के साथ–साथ शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। शिकायतों के त्वरित निराकरण से पुलिस की छवि में सुधार तथा पीड़ितों को राहत मिल रहा है।

अवैध प्रवासियों की पहचान कर विशेष टास्क फोर्स का गठन

गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में टोल फ्री नम्बर जारी कर अवैध प्रवासियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अवैध प्रवासियों की पहचान कर विशेष टास्क फोर्स का गठन द्वारा उनकी गिरफ्तारी एवं विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए 34 लोगों को देश से निष्कासित करने का भी कार्य किया गया है। विचाराधीन लोगों के लिए होल्डिंग सेंटर भी बनाये गए हैं जहां उनकी जांच कर नियमानुसार प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एंटी टेरीरिस्ट स्क्वाड को भी क्रियाशील करने का कार्य किया है जहां बनने के बाद से अब तक इसमें कोई केस दर्ज नहीं हुआ था वर्ष 2025 में इसके द्वारा पहली बार कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के मामलों पर सरकार विशेष ध्यान देते हुए इन्हें रोकने के लिए संलग्न लोगों पर कार्रवाई कर रही है सरकार बनने के 23 वर्षों में जितने मामले दर्ज हुए थे उससे दोगुने मामले पिछले 2 वर्षों में दर्ज किए गए हैं।

गौवंश वध, परिवहन एवं व्यापार की रोकथाम

गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गौवंश वध, परिवहन एवं व्यापार की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें गौवंश वध, परिवहन एवं व्यापार के प्रकरण दर्ज कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इनमें प्रयुक्त वाहनों को जप्त कर 142 वाहनों को राजसात कर 27 वाहनों की नीलामी भी की जा चुकी है। देश में पहली बार गौवंश वध, परिवहन एवं व्यापार के आदतन आरोपियों की सूची बनाई गई है और उनपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 19 पर निगरानी भी खोलकर सतत् निगरानी की जा रही है।

राज्य में नशे के व्यापार के विरूद्ध सख्त कार्रवाई

शर्मा ने बताया कि राज्य में नशे के व्यापार के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है। आदतन आरोपी के विरूद्ध निरोधक आदेश जारी कर एनडीपीएसए के वित्तीय जांच कर नशे के व्यापारियों की वित्तीय आधार खत्म करने के लिए उनकी सम्पत्ति जब्त कर उसे नीलाम करने का भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही गांजा, नशीली दवाइयों, एमडीएमए, हेरोईन, ब्राउन शुगर, डोडा को नष्टीकरण करने का कार्य किया गया है एवं संलग्न वाहनों की नीलामी भी की जा रही है।

अनाधिकृत ऑनलाईन गैम्बलिंग को रोकने का भी कार्य

गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधियों के विरूद्ध तीव्र गति से कार्रवाई के करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के खातों को सीज करने के साथ फर्जी सिम जारी करने वाले पीओएस पर भी अपराध पंजीबद्ध कर 165 संचालको की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है साथ ही म्यूल खातों पर कार्यवाही करते हुये अपराध पंजीबद्ध कर बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। राज्य में संचालित अनाधिकृत ऑनलाईन गैम्बलिंग प्लेटफार्म पर पहली बार कार्रवाई करते हुए 255 ऑनलाइन

लिंक्स और पोर्टल्स को रोकने का भी कार्य किया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए रायगढ़, कोरबा, राजनांदगाँव, कबीरधाम, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर–चांपा, जशपुर एवं धमतरी में साइबर थानों का संचालन प्रारंभ किया गया।

लोकतंत्र में बंदूक दिखा कर भय और हिंसा फैलाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं

नक्सलवाद के अंत के संबंध में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया की शासन बस्तर में शांति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 का दिन निर्धारित है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार अडिग है। लोकतंत्र में बंदूक दिखा कर भय और हिंसा फैलाने वालों का कोई स्थान नहीं है। शासन का प्रयास है अधिक से अधिक माओवादियों का पुनर्वास कराया जाए, इसका प्रभाव है कि राज्य में नक्सल ऑपरेशन में न्यूट्रलाइसड किए गए माओवादियों की संख्या से कई गुना अधिक लोगों ने पुनर्वास का रास्ता चुना है। इसके लिए लगातार सरकार द्वारा रेडियो एवं अन्य माध्यमों से पुनर्वास हेतु संदेश जारी किए थे, इसमें बस्तर के पत्रकार साथियों एवं समाज प्रमुखों का भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है जो सराहनीय है। उन्होंने बस्तर के समाज प्रमुख गणेश माड़वी के योगदान की विशेषतः रेखांकित किया।

दो पंचायतों ने स्वयं को नक्सल मुक्त किया घोषित

शर्मा ने बताया कि पुनर्वासित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासन द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं, इसमें उन्हें आजीविका मूलक प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्हें 5जी मोबाइल फोन, विभिन्न स्थानों पर शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जा रहा है। जेल में नक्सल प्रकरण में निरुद्ध लोगों के पुनर्वास के लिए उनके परिजनों के माध्यम से उन्हें जेल से पुनर्वास करने की अपील की जा रही है उन्हें पे रोल पर ले जा कर पुनर्वास केंद्रों का भ्रमण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुनर्वासित युवा जिनका विवाह नहीं हुआ था, उनका भी सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलवद पंचायत योजना के तहत अब तक दो पंचायतों ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित भी किया है। पिछले 2 वर्षों में कई पोलित ब्यूरो सदस्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य, स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य के द्वारा पुनर्वास के साथ कई नक्सल नेताओं को न्यूट्रलाइस भी किया गया है।

बंदियों को मनोरंजन तथा सकारात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय जेल रायपुर में उमंग–तरंग नाम से रेडियो स्टेशन का संचालन

गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि जेलों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर राज्य की चार केन्द्रीय जेल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा अंबिकापुर को आई. एस.ओ. प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। युवा बंदियों को सकारात्मक रचनात्मक रूझान प्रदान करने के लिए केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में सरगुजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई है। इसमें युवा बंदियों को ड्राईंग, पेंटिंग, योग इत्यादि कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बंदियों को मनोरंजन तथा सकारात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय जेल रायपुर में उमंग–तरंग नाम से रेडियो स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। बंदियों के कौशल विकास एवं पुनर्वास हेतु जेलों में नवीन उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें मसाला उद्योग, ऑयल एक्सट्रेक्शन उद्योग, एलईडी बल्ब, पेट्रोल पंप का संचालन सम्मिलित हैं। इस अवसर पर एसीएस गृह मनोज पिंगुआ, डीजी जेल हिमांशु गुप्ता, सचिव हिमशिखर गुप्ता, एडीजी अमित कुमार, एडीजी एसआरपी कल्लूरी, एडीजी विवेकानंद, एडीजी प्रदीप गुप्ता, आईजी ध्रुव गुप्ता उपस्थित रहे।

एनसीएल में मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस

बीएनई

सिंगरौली। गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2026 मनाया गया। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन), मनीष कुमार ने झंडा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान निदेशक (वित्त) रजनीश नारायण, निदेशक (तकनीकी/संचालन), आशुतोष द्विवेदी, मुख्यालय के विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक (आईईडी), एनसीएल मनोज कुमार सिंह ने सभी को कार्यस्थल पर सुरक्षा के साथ उत्पादन और उत्पादकता में अभिवृद्धि, संसाधनों का संतुलित तथा समुचित उपयोग करते हुए सुदृढ़ कार्य संस्कृति की स्थापना, समाज के जीवन स्तर एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपना योगदान देने तथा सहकर्मियों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई। इस वर्ष यह दिवस "क्लस्टर विकास इंजन के रूप में : एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना" विषय पर मनाया जा रहा है।

ऊर्जा उत्कृष्टता के 45 गौरवशाली वर्ष : एनटीपीसी सिंगरौली की इकाई–1 का उत्पादन दिवस उल्लास के साथ मनाया गया

बीएनई

सिंगरौली। एनटीपीसी सिंगरौली में आज इकाई–1 का 45वाँ उत्पादन दिवस उत्साह, गर्व एवं गरिमा के साथ मनाया गया। यह अवसर परियोजना की दीर्घकालिक यात्रा का उत्सव है। इकाई–1 की 45 वर्षों की यह उपलब्धि एनटीपीसी सिंगरौली की सुदृढ़ कार्यसंस्कृति, टीम भावना एवं कर्मियों की अथक निष्ठा का प्रमाण है। यह अवसर हमें अतीत की सफलताओं से प्रेरणा लेकर भविष्य में और अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु संकल्पित करता है।"

उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी सिंगरौली की प्रथम इकाई–1 ने वर्ष 1982 में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया था। विगत 45 वर्षों में इस इकाई ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर विश्वसनीय एवं स्थायी योगदान प्रदान किया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनवरी 2026 तक इकाई–1 द्वारा 90.36 प्रतिशत पीएलएफ दर्ज किया जाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसके आधार पर यह एनटीपीसी की सभी इकाइयों में पाँचवें स्थान पर रही। यह सफलता परियोजना कर्मियों की तकनीकी दक्षता, सजग संचालन एवं सतत निगरानी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। एनटीपीसी सिंगरौली देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सुरक्षा, गुणवत्ता, परिचालन उत्कृष्टता एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है।

विश्वसनीयता, तकनीकी दक्षता एवं कर्मियों की प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः इकाई–1 के नियंत्रण कक्ष में केक काटकर किया गया। इस अवसर पर श्री सी एच किशोर कुमार, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह का वातावरण उपलब्धियों के गौरव एवं सामूहिक उत्साह से परिपूर्ण रहा। इसके उपरांत सेवा भवन उद्यान में विधिवत हवन एवं पूजा–अर्चना का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में सी. एच. किशोर कुमार, रश्मि रंजन मोहंती, महाप्रबंधक (परियोजना), विभिन्न विभागाध्यक्षों, अधिकारियों, कर्मचारियों, संविदा कर्मियों एवं श्रमिकों ने श्रद्धापूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सी. एच. किशोर कुमार ने उत्पादन दिवस की ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा– "उत्पादन दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि संगठन की समर्पण, अनुशासन एवं तकनीकी उत्कृष्टता की निरंतर

रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को बनायेगे अधिक सशक्तः मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के नए गायन संस्करण का पेन ड्राइव लॉन्च किया। मुख्यमंत्री साय ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को को इस खास आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का विषय 'रेडियो और एआई' अत्यंत सामयिक और उपयोगी है। सूचना क्रांति के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक जनोपयोगी बनाने पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत प्रभावी रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। निजी चौनलों के बीच तेज़ी से खबरें देने की प्रतिस्पर्धा के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना परंपरा को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने रेडियो से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि जब दूरस्थ गांवों तक किसी अन्य माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब रेडियो ही देश–दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी आज भी विशेष भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात' जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम के लिए रेडियो का चयन इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के छह स्टेशन संचालित हैं तथा रायपुर से विविध भारती सेवा प्रसारित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'रेडियो और एआई' संचार के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। एआई की मदद से कंटेंट को अधिक प्रभावी, सटीक और त्वरित बनाया जा सकता है। आपातकालीन सूचनाएं, मौसम पूर्वानुमान, कृषि सलाह और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक तेजी और सटीकता से प्रसारित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल तकनीक के जरिए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के

माध्यम से छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी भाषाओं में प्रसारण से स्थानीय जुड़ाव मजबूत हुआ है और श्रोताओं की रुचि में वृद्धि हुई है।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और अधिक सशक्त बनाएंगी और विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प सभी के सहयोग से अवश्य साकार होगा।

कार्यक्रम में यूनेस्को के रीजनल एडवाइजर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन हज़ज़ाज़ माश्अली ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पहुंच रखता है और सबसे अधिक भरोसे वाला माध्यम है। रेडियो ने कठिन समय में भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए दुनिया को सही सूचनाएं प्रदान की। अली ने कहा कि एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और इस दिशा में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में पूरे प्रदेश विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं दे रहा है। अली ने कहा कि यूनेस्को रेडियो के विस्तार के लिए आकाशवाणी के साथ मिलकर नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर लगातार सहयोग करेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन, उप महानिदेशक व्ही. राजेश्वर, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 से पूर्व 14 फरवरी को राज्य स्तरीय यू-ट्यूब मार्गदर्शन सत्र आयोजित

बीएनई

प्रयागराज/लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने वाली हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु 14 फरवरी 2026 को प्रातः 10रू30 बजे राज्य स्तरीय ऑनलाइन यू–ट्यूब सत्र आयोजित किया जाएगा। यह सत्र परीक्षा की बेहतर तैयारी, विषयवार रणनीति, समय प्रबंधन तथा तनाव प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा। इस ऑनलाइन सत्र की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा

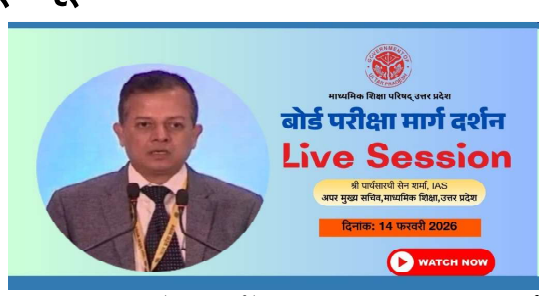

की जाएगी। सत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रभावी मार्गदर्शन, प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान करना है, ताकि वे बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। कार्यक्रम में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक, शिक्षक एवं विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग करेंगे। सत्र का लाइव प्रसारण यू–ट्यूब fyad https://www-youtube-com/live/p4Gk7fdS5xY के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रदेश भर के विद्यार्थी सीधे जुड़ सकेंगे।

संक्षिप्त

एसबीआई की रिपोर्ट- अमेरिका के साथ 90 अरब डॉलर के पार पहुचेगा भारत का व्यापार अधिशेष

एजेंसी

नई दिल्ली। व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में कटौती निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। साथ ही, यह व्यापार अधिशेष के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ कटौती के बाद निर्यात में तेज वृद्धि और अमेरिकी बाजारों में अधिक आयात से भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) सालाना 90 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है। रिपोर्ट एक दिलचस्प आंकड़े की ओर इशारा कर रही है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले टॉप–15 उत्पादों में सालाना 97 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात की क्षमता है। अगर अन्य उत्पादों को जोड़ लिया जाए, तो यह आंकड़ा आसानी से 100 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। न देने वाली बात यह है कि 2024–25 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 40.9 अरब डॉलर था, जिसके अब दोगुना से ज्यादा होने की उम्मीद है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743